1

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फिजियोथेरापिस्ट एवं अकुपेशनल थेरापिस्ट के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक–19264 दिनांक–18.08.2010 द्वारा प्राप्त पैनल को पुर्नजीवित करते हुये आरक्षण रोस्टर के आधार पर अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए फिजियोथेरापिस्ट अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–11.10.12 एवं अकुपेशनल थेरापिस्ट अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–12.10.12 को स्वास्थ्य विभाग में उपस्थिति हेतु सूचना प्रेस के माध्यम से दी गई थी।

समाचार पत्र में ससमय सूचना प्रकाशित नहीं हो पाने और अभ्यर्थी को समय पर विहित रीति से सूचना नहीं प्राप्त होने के कारण मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए फिजियोथेरापिस्ट अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–18.10.12 एवं अकुपेशनल थेरापिस्ट अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–19.10.12 की तिथि निर्धारित की जाती है।

वे अपने शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव एवं आरक्षण से संबंधित जाति प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि को 11.00 बजे दिन में सत्यापन हेतु स्वास्थ्य विभाग में उपस्थित हों। साथ में सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, स्वपता लिखा 25 रू0 का स्टाम्प लगा एक लिफाफा और हाल का खिंचा हुआ तीन पासपोर्ट आकार का फोटो भी लाएँगे। इसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जो अभ्यर्थी पूर्व निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का सत्यापन दिनांक–11.10.12 एवं 12.10.12 को कर लिया जाएगा उन्हें पुनः दिनांक–18.10.12 एवं 19.10.12 को सत्यापन हेतु आने की आवश्यकता नहीं है।

11/10

(विश्वनाथ ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि– ज्ञापांक– 11/फिजियो (स्था0)–01/2009–729 (11), दिनांक–11/10/2012
प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर को सूचना का विवरण स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/10

सरकार के संयुक्त सचिव